

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2776
उत्तर देने की तारीख: 12.08.2026

जम्मू और कश्मीर में मादक पदार्थों के दुरुपयोग का आकलन और रोकथाम

2776. श्री सज्जाद अहमद किचलू:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की समस्या के बारे में कोई आकलन किया है;
- (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान नशीली दवाओं की लत का इलाज कराने वाले लोगों की जिला-वार संख्या कितनी है;
- (ग) वर्तमान में कार्यात्मक सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या कितनी है; और
- (घ) रोकथाम, इलाज और पुनर्वास सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2018 में नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (एनडीडीटीसी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के माध्यम से भारत में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के दायरे और पैटर्न पर किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की व्यापकता और विभिन्न साइकोएक्टिव पदार्थों (मनो-सक्रिय पदार्थों) का दुरुपयोग करने वालों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है:

पदार्थ का नाम	नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की विद्यमानता (प्रतिशत में)	उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या (आयु 10-75)
अल्कोहल	3.50	3,90,000
भांग	1.31	1,40,000
ओपिओइड्स	4.91	5,40,000
शामक	1.54	1,70,000
इन्हेलेट	1.22	1,35,000
कोकीन	0.01	1,000

एम्फैटेमिन प्रकार के उत्तेजक पदार्थ	0.02	2,000
विभ्रान्ति उत्पादक	0.01	1,000

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान नशीले पदार्थों की लत से पीड़ित उपचार कराने वाले व्यक्तियों की जिलेवार संख्या संलग्नक-I में दी गई है।

(ग): जम्मू और कश्मीर में, विभाग 1 नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के पीड़ितों हेतु एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए), 3 आउटरीच और ड्रॉप-इन सेंटरों (ओडीआईसी), 2 सहकर्मियों के नेतृत्व वाले समुदाय आधारित हस्तक्षेपों (सीपीएलआई), 6 जिला नशामुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) और 21 नशामुक्ति उपचार केंद्रों (एटीएफ) को सहायता प्रदान कर रहा है।

(घ): रोकथाम, उपचार और पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करने के लिए किए गए उपाय संलग्नक-II में दिए गए हैं।

राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2776, जिसका उत्तर दिनांक 12.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

जम्मू और कश्मीर में पिछले पांच वर्षों के दौरान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा सहायता दिए गए केंद्रों में नशीले पदार्थों की लत से पीड़ित उपचार कराने वाले व्यक्तियों की जिलेवार संख्या इस प्रकार है::

जिला	नशीले पदार्थों की लत से पीड़ित उपचार कराने वाले व्यक्तियों की संख्या				
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
अनंतनाग	0	608	629	487	505
बांदीपुर	97	1148	6382	6175	5769
बारामूला	0	943	297	205	211
बडगाम	193	473	231	154	2693
डोडा	46	213	155	89	74
जम्मू	2639	5573	6053	9152	9960
कठुआ	0	476	393	281	337
किश्तवाड़	0	0	221	137	149
कुलगाम	327	5241	5439	5709	5765
कुपवाड़ा	135	4200	4206	4548	4530
पुंछ	0	0	61	120	214
पुलवामा	255	441	330	1593	3433
राजौरी	0	714	5912	5777	5561
सांबा	0	0	0	0	455
शोपियां	89	318	136	96	82
श्रीनगर	1601	7495	6143	6023	6204
रूधमपुर	0	0	0	0	549
कुल	5382	27843	36588	40546	46491

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2776, जिसका उत्तर दिनांक 12.08.2026 को दिया जाना है के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

रोकथाम, उपचार और पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश में नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने का नोडल मंत्रालय है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए, इस विभाग ने 'ड्रग्स की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य योजना' (एनएपीडीडीआर) तैयार की है और इसका कार्यान्वयन कर रहा है। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है, जिसके तहत निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नशीले पदार्थों की मांग कम करने के कार्यक्रम आदि के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को।

ii. नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के पीड़ितों हेतु एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए), किशोरों में ड्रग्स के दुरुपयोग की शुरुआती रोकथाम के लिए सहकर्मियों के नेतृत्व वाला समुदाय आधारित हस्तक्षेप (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) और जिला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी) चलाने और उनके रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को; और

iii. नशामुक्ति उपचार केंद्रों (एटीएफ) के लिए सरकारी अस्पतालों को।

देश भर में एनएपीडीडीआर योजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई हैं:

i. नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के पीड़ितों हेतु 344 एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) हैं, जो नशीले पदार्थों का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों को इन-पेशेंट उपचार के साथ-साथ काउंसलिंग, विषहरण/नशा-मुक्ति, आफ्टर-केयर और समाज की मुख्यधारा में फिर से शामिल होने की सुविधा देते हैं।

ii. 45 सहकर्मियों के नेतृत्व वाले समुदाय आधारित हस्तक्षेप (सीपीएलआई) कार्यक्रम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ काम करते हैं ताकि उन्हें ड्रग्स के बारे में जागरूक किया जा सके और जीवन जीने के आवश्यक कौशल सिखाए जा सकें।

iii. 76 आउटरीच और ड्रॉप-इन सेंटर (ओडीआईसी) हैं, जो जांच, मूल्यांकन और काउंसलिंग की सुविधा के साथ सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं तथा उसके बाद उपचार और पुनर्वास सेवाओं के लिए रेफरल और संपर्क की सुविधा भी देते हैं।

iv. सरकारी अस्पतालों में 155 नशामुक्ति उपचार केंद्र (एटीएफ)।

v. 145 जिला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी) हैं, जो आईआरसीए, ओडीआईसी और सीपीएलआई द्वारा दी जाने वाली तीनों सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराते हैं।

vi. जम्मू और कश्मीर में, विभाग 1 आईआरसीए, 3 ओडीआईसी, 2 सीपीएलआई, 6 डीडीएसी और 21 एटीएफ को सहायता प्रदान कर रहा है।

vii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा-मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन (14446) चलाई जा रही है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता चाहने वाले लोगों को शुरुआती काउंसलिंग और तुरंत रेफरल सेवाएं दी जाती हैं। अब तक 4.6 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें जम्मू और कश्मीर से आए 11,000 से अधिक कॉल भी शामिल हैं।

viii. नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) को 15 अगस्त 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने शुरू किया था। इसे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) से नशीले पदार्थों की आपूर्ति के बारे में मिले इनपुट और पहले राष्ट्रीय सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर, नशीले पदार्थों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील 272 जिलों में शुरू किया गया था और अब अगस्त 2023 से इसका विस्तार देश के सभी जिलों में कर दिया गया है। 'नशा मुक्त भारत अभियान' का उद्देश्य आम लोगों तक पहुंचना और उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसर और स्कूलों पर विशेष ध्यान देते हुए नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है।

ix. सभी राज्यों के निरंतर सहयोग से, नशा मुक्त भारत अभियान देश भर में बड़े पैमाने पर जागरूकता और आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से 29.05 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचने और उन्हें जागरूक करने में सफल रहा है; इनमें 11.05 करोड़ से अधिक युवा और 7.81 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। 1.17 लाख से अधिक नशा मुक्ति मित्र अभियान से जुड़े हैं।

x. जम्मू और कश्मीर में, बड़े पैमाने पर जागरूकता और आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से अब तक 1.20 करोड़ से अधिक लोगों को जागरूक किया गया है; इनमें 69.14 लाख से अधिक युवा और 51.20 लाख महिलाएं शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर में 8,565 नशा मुक्ति मित्र अभियान में शामिल हुए हैं।
